



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

05 चैत्र, 1943 (श०)

संख्या- 237 राँची, शुक्रवार,

26 मार्च, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

19 मार्च, 2021

संख्या- 5/आरोप-1-77/2017 का०-1784-- श्री विनय कुमार लाल, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-445/03, गृह जिला-भागलपुर), तत्कालीन अंचल अधिकारी, मधुपुर, देवघर के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2569/रा0, दिनांक-24.05.2017 के माध्यम से उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-748/रा0, दिनांक-19.04.2017 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नांकित आरोप गठित किये गये-

आरोप सं0-1- राजस्व विभाग/कार्यालय के अधीन अंचल अधिकारी, मधुपुर के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान वर्ष 1984 से 2013 में राजस्व विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया गया है।

आरोप सं0-2- श्री विनय कुमार लाल, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मधुपुर के रूप में रहते हुए जितने भी जमीन का एन0ओ0सी0 निर्गत किया है, अधिकतम असर्वेक्षित प्रकृति के हैं अर्थात् उक्त जमीन रैयती प्रकृति की है या बसौड़ी हस्तांतरणीय है, यह स्पष्ट नहीं है।

आरोप सं0-3- इनके द्वारा अधिकतम उसी का नामान्तरण (दाखिल-खारिज) किया गया है, जिसका एन0ओ0सी0 निर्गत किया है।

आरोप सं0-4- श्री लाल की पत्नी- श्रीमती पुष्पा कुमारी के द्वारा मधुपुर/करौं अंचल में आपके कार्यकाल में लगभग 30 एकड़ जमीन का क्रय किया गया, जिसकी जानकारी आपको थी, किन्तु आपके द्वारा इसकी कोई सूचना उच्चाधिकारी अथवा सरकार को नहीं दी गई।

आरोप सं0-5- उनके द्वारा ग्रामीण बैंक, चिहुटिया शाखा में एक बचत खाता खोला गया था, जिसमें बहुत कम समय में लाखों रुपये का लेन-देन किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि श्री लाल द्वारा अवैध कार्य किया गया है।

आरोप सं0-6- उनकी पत्नी श्रीमती पुष्पा कुमारी के द्वारा करीब 30 एकड़ भूमि खरीद की गई है, जिसमें अत्यधिक राशि का उपयोग हुआ है। इतनी राशि आपकी पत्नी के पास कहाँ से प्राप्त हुआ, जबकि डीड में आपकी पत्नी का पेशा गृहिणी दिखाया गया है।

आरोप सं0-7- जब श्री लाल अंचल अधिकारी, मधुपुर/करौं के रूप में पदस्थापित थे तो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए करौं अंचल अंतर्गत मौजा कुशमाहा, थाना नं0-371, दाग नं0-10 से संबंधित जमीन निबंधित सेलडीड से देव नारायण राय एवं अन्य के द्वारा दिनांक 11.03.2008 को श्रीमती पुष्पा कुमारी, पति-श्री विनय कुमार लाल एवं अन्य तीन के पक्ष में जेनरल पावर ऑफ एटर्नी दिया गया। इस जमीन का रकबा 2.62 एकड़ दिखाया गया है। जबकि इसी दाग नं0-10 में 4495 वर्गफीट जमीन का नामान्तरण पूर्व में उनके द्वारा श्याम जीत द्विवेदी के पक्ष में किया गया है।

आरोप सं0-8- इनके द्वारा मधुपुर अंचल के मौजा-टिटहियाबांक में चुन्नुबाबू सिमेंट फैक्ट्री के सामने 32 कट्टा असर्वेक्षित जमीन को पावर ऑफ एटर्नी लेकर पूर्व में बिक्री किया गया है।

आरोप सं0-9- इनकी पत्नी श्रीमती पुष्पा कुमारी के नाम पर मधुपुर बाजार स्थित डॉ० हरि साव लेन में 3 कट्टा जमीन बिक्रीनामा से प्राप्त किया गया है। सरकार के नजर में न आये, इसलिए अब तक उसका नामान्तरण (दाखिल-खारिज) अंचल मधुपुर से नहीं हुआ है।

आरोप सं0-10- इनकी पत्नी श्रीमती पुष्पा कुमारी के द्वारा मौजा-बड़ा शेखपुरा के अंतर्गत थोका नं0-25, दाग नं0-103, रकबा-01 बीघा 16 कट्टा 02 धूर जमीन डीड सं0-2853, दिनांक 18.08.2002 को क्रय किया गया है। जमीन सरकार के नजर में न आये इसके लिये अब तक नामान्तरण (दाखिल-खारिज) नहीं कराया गया है, जिसके कारण पंजी-II में अभी तक भूमि बिक्रेता गोविन्द प्रसाद अग्रवाल का नाम अंकित है।

आरोप सं0-11- श्री लाल अपने पदस्थापन काल से विवादित रहे हैं, जिसके कारण पूर्व में भी इनको निलम्बित किया जा चुका है। बावजूद इनके क्रियाकलाप में कोई अंतर नहीं आया है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7758, दिनांक 05.07.2017 एवं पत्रांक-9212, दिनांक 22.08.2017 द्वारा श्री लाल से स्पष्टीकरण की माँग की गई। परन्तु श्री लाल द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं किया गया, अतः इनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-93, दिनांक 04.01.2019 द्वारा श्री लाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-149, दिनांक 17.06.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री लाल के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप संख्या-2, 3, 10 एवं 11 प्रमाणित तथा आरोप संख्या-4, 7 एवं 9 को आंशिक रूप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

श्री लाल के विरुद्ध आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री लाल के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के अन्तर्गत इनके पेंशन से 25% राशि की कटौती तीन वर्षों तक करने का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-2747, दिनांक 09.06.2020 द्वारा श्री लाल से कारण पृच्छा की माँग की गई, जिसके अनुपालन में श्री लाल के पत्र, दिनांक 26.06.2020 द्वारा कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं-

(i) संचालन पदाधिकारी महोदय को सुनवाई की तिथि को इनके द्वारा समर्पित लिखित कथन दिनांक 11.02.2019 की कंडिका सं0-01/01(ख)(ग)(घ) में इनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि देवघर समाहरणालय के आदेश सं0-133/राजस्व, दिनांक 31.01.2008 तथा पत्र सं0-1419/राजस्व, दिनांक 03.11.2008 के निर्देश का पूर्ण रूप में पालन करते हुए मधुपुर अंचल अंतर्गत असर्वेक्षित तथा सर्वेक्षित मौजा के जमीन का एन0ओ0सी0 निर्गत तथा नामान्तरण इन्होंने किया था। पुनः स्पष्ट करना है कि देवघर समाहरणालय के वर्णित आदेश दिनांक 31.01.2008 में अंकित समस्त प्रावधानों का अक्षरशः पालन करने के उपरान्त ही इनके द्वारा एन0ओ0सी0 निर्गत करने तथा नामान्तरण की कार्रवाई की गई।

(ii) संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा अंकित जाँच एवं निष्कर्ष तथ्यपरक नहीं है तथा अमान्य किये जाने योग्य है। संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी को समर्पित लिखित कथन दिनांक 11.02.2019 की कंडिका-01/02 में सरकारी परिपत्र/नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए नामान्तरण की कार्रवाई किये जाने संबंधी इन्होंने अपना पक्ष समर्पित किया है। इनके कार्यकाल के दौरान मधुपुर अंचल अंतर्गत नामान्तरण के किसी भी मामले को सक्षम न्यायालय से अब तक अनियमित/अवैध नहीं घोषित किया गया है।

(iii) संबंधित आरोपों की सुनवाई हेतु संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी को समर्पित लिखित कथन दिनांक 11.02.2019 की कंडिका-03/04 में इनके द्वारा प्रस्तुत पक्ष के अनुसार आरोप पत्र के साथ संलग्न एकरारनामा में वर्णित जमीन का क्रय इनकी पत्नी द्वारा नहीं किया गया है। उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा भी इनके पक्ष पर कोई आपत्ति भी सुनवाई के दौरान संचालन पदाधिकारी को नहीं दिये थे। स्पष्ट करना है कि जिस अचल सम्पत्ति को क्रय के माध्यम से इनकी पत्नी द्वारा अर्जित नहीं की गई है, उस पर झारखण्ड सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-19(2) के आधार पर इनके विरुद्ध लगाये गये आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित पाये जाने संबंधी संचालन पदाधिकारी को अधिनियम यथा नियम अमान्य किये जाने योग्य है। पत्नी से पूछताछ करने पर वे उनको बतलायी कि करों अंचल अंतर्गत वर्णित जमीन के क्रय संबंधी निष्पादित एकरारनामा के रद्द होने संबंधी अभिलेख दूसरे पक्षकार के पास वे रखी थी। इनके कथन की सत्यता की जाँच आरोप पत्र के साथ संलग्न एकरारनामा में वर्णित जमीन के वास्तविक मालिक की सूचना अंचल अधिकारी, करों प्रखंड से कर सकते हैं।

(iv) सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने हेतु संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी को समर्पित लिखित कथन दिनांक 11.02.2019 की कंडिका-03/09 तथा 03/10 में स्पष्ट किया है कि इनकी पत्नी शिक्षण पेशा से हुई आय, स्त्री धन से मधुपुर अंचल अंतर्गत डॉ० हरि साह लेन में डेढ़ कट्ठा जमीन तथा बड़ा शेखपुरा में एक बीघा सोलह कट्ठा दो धूर जमीन का क्रय की है। इसके अतिरिक्त इनके पूरे परिवार के पास कोई अतिरिक्त अर्जित सम्पत्ति नहीं है। कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5437, दिनांक 09.09.2010 के निर्देश के क्रम में वर्ष 2011 से सेवानिवृत्ति की तिथि तक ये विहित प्रपत्र में अपने परिवार के पास धारित चल-अचल सम्पत्ति का

विवरण वांछित रूप में समर्पित किये हैं, जिसके चलते विभागीय स्तर से इनके विरुद्ध कभी अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की गई है।

श्री लाल द्वारा समर्पित कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

(i) आरोपी पदाधिकारी का कथन कि देवघर समाहरणालय के आदेश सं०-133/राजस्व, दिनांक 31.01.2008 में दिये गये निर्देशों के आलोक में उनके द्वारा मधुपुर अंचल अंतर्गत असर्वेक्षित मौजा की जमीन का एन०ओ०सी० निर्गत तथा नामान्तरण किया गया है, अमान्य है, क्योंकि संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में उक्त पत्र में निहित निर्देशों की विस्तृत समीक्षा कर स्पष्ट किया गया है कि जिन कागजातों के जांचोपरान्त भू सत्यापन प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया गया था, उन कागजातों की जांच आरोपी पदाधिकारी द्वारा नहीं की गई। संबंधित पत्र की कंडिका-3(क) में पूर्व जमींदार द्वारा प्रदत्त अमलनामा, हुकूमनामा, पट्टा निबंधित बिक्रय पत्र की प्रति से मिलान करने का निर्देश दिया गया है, जबकि अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, मधुपुर के द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में अधिकांश मामलों में यह उल्लेख किया गया है कि जांच के दौरान निबंधित केवाला उपस्थापित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त एन०ओ०सी० निर्गत करने के पूर्व माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-334/रा० दि० 22.03.2007 के आलोक में यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि गेंजर सर्वे में असर्वेक्षित जमीन की प्रकृति मैक्फर्सन सर्वे में क्या थी।

इसी प्रकार संचालन पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि देवघर समाहरणालय (जिला राजस्व शाखा) के पत्रांक-1419/रा० दि० 03.11.2008 द्वारा सिर्फ मौजा भेड़वा थाना नं०-274 थोका नं०-0(अपठनीय) की भूमि को बिक्रयशील बताया गया है। उसके आधार पर असर्वेक्षित जमीनों का आरोपी के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना नियमानुकूल नहीं ठहराया जा सकता है।

(ii) साक्ष्य के अभाव में आरोपी पदाधिकारी का कथन अमान्य है, क्योंकि किन सरकारी परिपत्रों/नियमों के आधार पर उनके द्वारा असर्वेक्षित भूमि का नामान्तरण किया गया है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है।

(iii) आरोपी पदाधिकारी का कथन अमान्य है, क्योंकि संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आरोपी की पत्नी के द्वारा 20.79 एकड़ जमीन क्रय करने का एकरारनामा किया गया था तथा बयाना के रूप में वर्ष 2005 में दो लाख ₹० की राशि दी गई थी। चूंकि आरोपी सरकारी कर्मी थे एवं उनकी पत्नी मात्र एक गृहिणी (House Wife) थी, अतः पत्नी के द्वारा किये गये उक्त एकरारनामा तथा बयाना के रूप में दी गई राशि के स्रोत की पूर्व जानकारी झारखण्ड सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-19(2) के अंतर्गत आरोपी के द्वारा सरकारी को दी जानी चाहिए थी।

(iv) संचालन पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि आरोपी की पत्नी के द्वारा 20.79 एकड़ भूमि का क्रय करने का एकरारनामा किया गया था। इसके अतिरिक्त श्री लाल द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि वर्ष 2001 में मधुपुर नगर क्षेत्र के डॉ० हरि साह लेन में डेढ़ कट्टा जमीन एवं वर्ष 2002 में मधुपुर अंचल के मौजा बड़ा शेखपुरा में एक बीघा सोलह कट्टा दो धूर जमीन उनकी पत्नी के द्वारा क्रय की गई है, किन्तु पत्नी के द्वारा किये गये एकरारनामा अथवा जमीन क्रय किये जाने की पूर्व सूचना झारखण्ड सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-19(2) के अंतर्गत आरोपी के स्तर से राज्य सरकार को नहीं दी गई।

समीक्षोपरांत, श्री लाल द्वारा समर्पित कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के अन्तर्गत इनके पेंशन से 25% राशि की कटौती तीन वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया है। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-429, दिनांक 21.01.2021 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गयी। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-581, दिनांक 05.03.2021 द्वारा श्री लाल के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के अन्तर्गत इनके पेंशन से 25% राशि की कटौती तीन वर्षों तक करने पर सहमति प्रदान की गई है।

अतः श्री विनय कुमार लाल, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-445/03, गृह जिला-भागलपुर), तत्कालीन अंचल अधिकारी, मधुपुर, देवघर के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के अन्तर्गत इनके पेंशन से 25% राशि की कटौती तीन वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री विनय कुमार लाल, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विशाल सागर,
सरकार के संयुक्त सचिव।
